OFFICE OF AGRICULTURAL PRODUCE MARKET COMMITTEE
CHAMBA, DISTRICT CHAMBA (H.P.) 176314

सार्वजानिक नीलामी सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि कृषि उपज मंडी समिति चम्बा (हि o प्र o) के अंतर्गत विनियमित फल व् सब्ज़ी उप -मंडी तीसा मे सब्जी तथा फलों के थोक व्यापार हेतु दूकान संख्या 1,2,3,4,5 एवं 6 को खुली बोली द्वारा किराये पर आबंटित किया जाना है , जिसका ब्यौरा निम्न है :

क्रम संख्या	दुकान संख्या	आवंटन का उद्देश्य	प्रत्येक दुकान का क्षेत्रफल	निर्धारण प्लिंथ एरिया दर 2023	बोली हेतु न्यूनतम प्रतिमाह किराया
1	01 से 06 (कुल 06 दुकानें)	सब्जी एवं फलों तथा अन्य अधिसूचित कृषि उपज के थोक व्यापार हेतु	L. 4.5 m × B. 3 m = **13.5** वर्ग मीटर	₹260/- प्रति वर्ग मीटर प्रति माह	₹3510/- (18% GST सहित) प्रति दुकान

अत: इस सबंध में जिला चम्बा के सब्जी तथा फलों के थोक व्यापारियो/ विक्रेताओं को सूचना प्रकाशित होने के 21 दिनों के भीतर निर्धारित प्रपत्र पर आवेदन आमंत्रित है। इच्छुक आवेदक आवेदन हेतु कृषि उपज मंडी समिति चम्बा स्थित बालू कार्यालय में रु 100/- जमा करवाकर प्राप्त कर सकते है। अतः आवेदन की अंतिम तिथि दिनांक 15-04-2026 को अपराह्न 5:00 बजे रहेगी इसके उपरांत कोई भी आवेदन स्वीकार नही किया जाएगा ।

नीलामी प्रक्रिया मे निम्नलिखित नियम एवं शर्तों का पालन होगा –

1. **दुकानों का आवंटन हि o प्रo राज्य कृषि विपणन बोर्ड द्वारा तय नियमों के अनुसार किया जाएगा ।**
2. **आवंटक नीति – 2021 के नियम 06 के अनुसार कुल दुकानों मे से :**

(i) 50 % दुकाने थोक व्यापार (फल एवं सब्जी) हेतु |
(ii) 25 % दुकाने स्थानीय विक्री व्यापार (फल एव सब्जी) हेतु
(iii) 15 % दुकाने अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति/ अन्य पिछड़ा वर्ग (ST/SC/OBC) हेतु
(iv) 10% दुकाने FPO's / सहकारी समितिया / स्वय सहायता समूह / एव प्राकृतिक खेती से सम्बन्धित इकाईयों हेतु आरक्षित आधार पर आवंटित की जाएगी।

3. **आवेदक जिला चम्बा का स्थाई निवासी होना चाहिए एव कृषि उपज मंडी समिति चम्बा का लाइसेंस धारक होना चाहिए व् मंडी शुल्क का तथा किराए का डिफाल्टर न हो ।**
4. **यदि आवेदक कृषि उपज मंडी समिति चम्बा का लाइसेंस धारक नही है तो उस स्थिति मे आवंटन के उपरांत आवेदक को कृषि उपज मंडी समिति चम्बा मे पंजीकृत करवाकर लाइसेंस प्राप्त करना होगा ।**
5. **आवेदक को आवंटन प्रक्रीया में भाग लेने के लिए आवेदक पत्र के साथ ₹ 10000/- रूपए की आरक्षित राशी कैश के रूप में सचिव कृषि उपज मंडी समिति चंबा के नाम जमा करवानी होगी, जो कि आवंटन न होने पर तुरंत वापिस कर दी जाएगी |**
6. **यदि पात्र आवेदक दुकानों की संख्या से अधिक हुए तो आवंटन की उचतम बोली के आधार पर किया जाएगा ।**
7. **सफल बोली दाता को 6 माह का किराया बतौर प्रतिभूति व् 1 माह का अग्रिम किराया उसी दिन जमा करवाना होगा।**
8. **दुकानों के आवंटन हेतु न्यूनतम बोली, ₹3510/- (18% GST सहित) प्रति दुकान से शुरू होगी । सफल बोलीदाता को निर्धारित किराया अगले माह की 7 तारीख तक जमा करवाना होंगा अन्यथा किराये का 10% दण्डस्वरुप वसूला जाएगा। इसके आलावा यदि आवंटक दुकानदार लगातार 2 या अधिक माह का किराया जमा नही करवाता है तो कृषि उपज मंडी समिति के पास बिना नोटिस आवंटन रद्द करने का विकल्प होगा। एव लंबित किराये का समायोजन, 6 माह का किराया प्रतिभूति राशि से कर लिया जाएगा।**

9. आवंटक / बोलीदाता को आवंटन के 10 दिन के भीतर दूकान का कब्जा लेने से पूर्व सचिव कृषि उपज मंडी समिति चम्बा के साथ अनुबंध करना होगा । आवंटित दूकान को फल व् सब्ज़ी का थोक व्यापार कार्य करना अनिवार्य होगा।

10. आवंटित दूकान के वार्षिक मरम्मत आदि का व्यय आवंटक को स्वय वहन करना पड़ेगा ।

11. आवंटन समिति को बिना कारण वताए आवंटन रद्द करने का अधिकार होगा।

12. अन्य शर्ते मौके पर सुनाई जाएगी ।

सचिव
कृषि उपज मंडी समिति चम्बा
चम्बा जिला चम्बा (हि० प्र०)